सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की नीतिगत कार्रवाई योजना

1. प्रसंग

1.1 देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (सूलमउ) की भूमिका सुस्थापित है। सूलमउ क्षेत्र उद्यमिता की पौधशाला है जो अक्सर व्यक्तिगत रचनात्मकता और नवीनता से आगे बढ़ती है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पादों में 8% का योगदान देता है। यह क्षेत्र निर्मित उत्पादन में 45% और निर्यात में 40% का योगदान देता है। सूलमउ 26 मिलियन से अधिक उद्यमों के माध्यम से 6 हजार से अधिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं तथा लगभग 60 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हैं। सूलमउ में श्रम और पूंजी का अनुपात तथा सूलमउ क्षेत्र में समग्र वृद्धि बड़े उद्योगों से काफी अधिक है। सूलमउ का भौगोलिक वितरण भी काफी समान है। इस प्रकार सूलमउ वृद्धि के साथ इक्विटी और अंतर्वेश के राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह कहना कि भारत में सूलमउ क्षेत्र उद्यमों के आकार, उत्पादों और उत्पादित सेवाओं तथा प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अलग-अलग प्रकृति के हैं, यह एक अल्पकथन होगा। उत्पादन और सेवाओं के सभी क्षेत्रों में सूलमउ क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए वास्तव में एक रणनीतिक परिसम्पत्ति है।

1.2 एक ओर हमारे यहां ग्रामीण और ग्रामोद्योगों सहित खादी उद्योग है। स्थान की दृष्टि से वे मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं तथा स्थानीय आर्थिक पर्यावरण तंत्र के लिए महत्वपूर्ण घटक प्रदान करते हैं। काफी संख्या में वे कृषि/बागवानी/अन्य वन एवं गैर-वन्य उत्पादों से परस्पर-संबंधित और परस्पर-निर्भर हैं। ये स्थानीय अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाते हैं तथा साथ ही साथ काफी रोजगार भी उपलब्ध कराते हैं और दीर्घावधि में ग्रामों से शहरों की ओर पलायन को रोकने का कार्य करते हैं। यहां चुनौती बुनियादी और मितव्ययी प्रौद्योगिकी उपलब्ध करना है तथा कम से कम ग्रामीण/क्लस्टर स्तर पर प्राथमिक प्रक्रिया सुनिश्चित करना है जिससे मूल्य संवर्द्धन हो सके तथा प्रचालन तंत्र की लागत कम हो सके। ग्रामीण स्तर पर शिक्षित युवाओं की शक्ति में वृद्धि से, दूसरी चुनौती उन्हें अपने ग्रामीण स्तरीय उद्यम स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित करना तथा उन्हें नीतिगत तथा राजकोषीय उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित करना है। कृषि क्षेत्र से अनुत्पादक श्रम शक्ति को उत्पादक उद्यमों की ओर मोड़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ होगा साथ ही कृषि क्षेत्र में छुपी हुई बेरोजगारी में काफी कमी आएगी।

1.3 दूसरी ओर, स्पेक्ट्रम की अत्यंत विषम और विपरीत स्थिति में वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं जो काफी बड़ी मात्रा में ऐसी विविध सामग्री का उत्पादन कर रहे हैं जिनका निर्यात किया जाता है और जिन्हें घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचना होता है, डब्ल्यू टी ओ के दौर में आयातित वस्तुओं के आने में होने वाले अवरोधों को कम करना तथा लघु स्तर के उद्यमों के लिए आरक्षण जैसे संरक्षणवादी उपाय समाप्त करने को रोकना होता है।

1.4 ऐसी आंतरिक (बड़े घरेलू उद्योगों से) तथा बाहरी (आयात) प्रतियोगिताओं का सामना करने के लिए अपेक्षित और अत्यावश्यक है कि वे सहज रूप से डिजाइन, विनिर्माण सक्षमता, विपणन अथवा बाजार पहुंच के संबंध में प्रतियोगिता करें।

1.5 सूलमउ क्षेत्र के लिए एक गैर-स्तरीय कार्य क्षेत्र को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूलमउ को ऋण देने में अनिच्छा, प्रौद्योगिकी तक पहुंच की कमी, अपर्याप्त विपणन क्षमताओं जैसी विषमताओं ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है । बाजारों में परिवर्तन तथा बैंकिंग प्रणाली की अनिश्चितताओं ने उनकी सहनशक्ति के प्रति उनकी प्रारंभिक सहनशीलता का स्तर इतना कम है कि जिससे कोई भी प्रतिकूल प्रभाव उन पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है जिससे वे रूग्ण अथवा बंद भी हो सकती हैं ।

1.6 वर्ष 2006 (जब एमएसएमईडी अधिनियम अस्तित्व में आया था) से, इस मंत्रालय में पारिभाषिक शब्द के रूप में 'उद्यम' जोड़ने से जैसा कि यह तथ्य सामने आया है कि सेवा क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र की तुलना में काफी तीव्र गति से बढ़ रहा है इससे इस मंत्रालय के समक्ष सेवा क्षेत्र में अति-सक्रिय वृद्धि की बिल्कुल भिन्न चुनौती उत्पन्न हो गई है।

1.7 इस मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के इन सभी विस्तृत पहलुओं को देखते हुए, ये चुनौतियां काफी अधिक और रोमांचक हैं।

2. विजन, मिशन, उद्देश्य और कार्यकलाप

2.1 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय का उद्देश्य भारत में विकासशील सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (सूलमउ) क्षेत्र का निर्माण करना है।

2.2 यह परिकल्पना की गई है कि काफी संख्या में उद्यमों की स्थापना से तथा लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में उनकी क्रमशः वृद्धि से इस क्षेत्र में काफी प्रगति होगी। इससे सकल घरेलू उत्पाद, विनिर्माण उत्पादन, रोजगार और निर्यात में उनके योगदान की वृद्धि होगी। पहले से स्थापित उद्यमों के संबंध में निवेश के अगले उच्चतर स्तरों पर पहुंचने तथा अधिक बाजार हिस्से तक पहुंचने का स्वागत किया जाएगा। संगठनात्मक स्तर पर, पहले से प्रमुख असंगठित क्षेत्र के संगठित क्षेत्र में परिवर्तन का स्वागत किया जाएगा।

2.3 इस मंत्रालय का मिशन विद्यमान उद्यमों को समर्थन देकर तथा नए उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करके संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य स्टेक होल्डरों के सहयोग से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, जिनमें खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योग शामिल हैं, की वृद्धि और विकास का संवर्धन करना है। हमारा घोषित मिशन उन बाधाओं को दूर करना है, जो सूलमउ क्षेत्र की स्थापना और वृद्धि को रोकती हैं चाहे वे बाधाएं आंतरिक (नीतिगत/राजकोषीय/निवेश/त्रुटिपूर्ण कराधान क्षेत्र) हो अथवा बाहरी (डब्ल्यू टी ओ की नीतियों का दुरूपयोग जिसमें डंपिंग, निर्यात बाजारों तक पहुंच का अभाव आदि शामिल है।)

2.4 इस समय, जनता की धारणा है कि सूलमउ क्षेत्र कम गुणवत्ता वाले मानदंडो को अपनाता है। यह परिकल्पना की गई है कि विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण मानदंडो को प्राप्त करने के लिए आधुनिक और नई प्रौद्योगिकीयों के माध्यम से सूलमउ क्षेत्र को उन्नत किया जाएगा। खादी और कॅयर उत्पादों सहित सूलमउ उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजारों को चिह्नित एवं विकसित किया जाएगा।

2.5 इस मंत्रालय का उद्देश्य विद्यमान सूलमउ को सहायता प्रदान करना और उनका विकास करना, नए उद्यमों का सृजन, खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों को सहायता देना है। इन उद्देश्यों के समस्त पहलू उद्यमिता के समर्थन और सूलमउ के कौशल विकास और इसी प्रकार के अन्य सहायक उद्देश्यों के व्यापक स्पेक्ट्रम के लिए हैं जिससे सम्पूर्ण संवर्धनात्मक वातावरण बन सके।

2.6 इस मंत्रालय के कार्यकलापों में युवाओं में उद्यमिता संस्कृति के भाव उत्पन्न करना, सूलमउ को ऋण के प्रवाह की सुविधा, सूलमउ की प्रतिस्पर्धात्मकता क्षमता को बेहतर बनाना, क्लस्टर आधारित अप्रोच के माध्यम से सूलमउ का संवर्धन, सूलमउ को विपणन सहयोग, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के माध्यम से नए सूक्ष्म उद्यमों का सृजन, खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) क्षेत्र को सहयोग, कयर उद्योग, उद्यमिता और कौशल विकास को सहयोग शामिल है।

3. स्थिति का मूल्यांकन

3.1 बाहरी कारक

3.1.1 चूंकि सूलमउ घरेलू और वैश्विक दोनो स्तरों पर संपूर्ण विनिर्माण और सेवा-मूल्य-श्रृंखला का अभिन्न अंग है अनेक कारकों का इस क्षेत्र की वृद्धि पर असर पड़ा है। किसी भी विपरीत नीति से सूलमउ अथवा विशिष्ट उप-क्षेत्रों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। यह कम सहनशीलता के स्तर के कारण है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. उपर्युक्त नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान की उपलब्धता (अथवा इसकी कमी)।

ii. वे राज्य सरकारें जो विभिन्न सरकारी नीतियां बनाती हैं तथा इसके लिए कदम उठाती है, भी प्रमुख बाह्य कारक हैं। केवल औद्योगिक इकाइयों से कृषि क्षेत्र को शक्तियों के हस्तांतरण की राजनीतिक कार्रवाई से इकाइयाँ प्रभावी रूप से बंद हो जाएगी। यह एक अत्यंत सहज ट्रेंड है। यह भी पाया गया है कि चाहे सूलमउ क्लस्टर काफी उच्च करों की दर का भुगतान करते हैं, उनकी अवसंरचनात्मक स्थिति अत्यंत खराब हालत में है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उन्हें व्यापार में वापस नहीं लगाया गया। इस प्रकार सूलमउ के स्वस्थ क्लस्टरों के विकास के लिए आम लोगों पर राजनीतिक प्रभाव होना एक कठिनाई है।

3.1.2 आर्थिक बाह्य कारक, जिनसे यह क्षेत्र प्रभावित होता है, निम्नलिखित है:-

i. समग्र घरेलू और वैश्विक वृद्धि का ट्रेंडः

ii. घरेलू कर व्यवस्था, विशेषकर वस्तुओं और सेवा कर तथा डायरेक्ट टैक्स कोडः

iii. इस क्षेत्र के ऋण प्रवाह को नियंत्रित करने वाली नीतियांः

iv. व्यापार नीतियां जिनमें अन्य देशों के साथ निशुल्क व्यापार समझौते शामिल हैंः

v. श्रमिक नीतियां, विशेषकर श्रमिक कानूनों की बहुतायत तथा विभिन्न श्रम विनियमों के अनुपालन की प्रक्रियाः

vi. अवसंरचनात्मक सुविधाओं की उपलब्धता जिसमें बिजली, पानी, सड़क आदि शामिल हैंः

vii. प्रतियोगी दरों पर जटिल कच्ची सामग्री की उपलब्धताः

viii. विनिर्माण, सेवा, विपणन आदि के लिए कुशल श्रमशक्ति की उपलब्धता।

3.1.3 पिछले कुछ समय में राजनीतिक परिदृश्य द्वारा जन सांख्यिकीय को प्रभावित करना एक बाहरी कारण है जिससे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार, उन राज्यों में जिनमें कम आर्थिक गतिविधियों के कारण पलायन का इतिहास है, नई इकाइयों को कुशल श्रमशक्ति ढूंढने में काफी कठिनाई होती है। दूसरी ओर यदि व्यक्तियों को कुशल बनाने में निवेश किया जाता है तो सशक्तिकरण के पश्चात अवसरों के अभाव में कारण पुनः उनका प्रवास हो जाता है। इसी कारण से पूर्वोतर राज्य बिहार, झारखंड आदि प्रभावित है। कौशल उन्नयन नये कौशल और उद्यमिता के अभिविन्यास का सम्मिश्रण, इस मंत्रालय के समक्ष प्रमुख चुनौतियॉं हैं।

3.1.4 बाह्य कारक के रूप में प्रौद्योगिकी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

3.1.5 सूचना प्रौद्योगिकी इस सम्पूर्ण क्षेत्र की महत्वपूर्ण कडी है। सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच सेवाओं को किफायती दरों पर उपलब्ध कराने में सक्षम बनाती है जिससे सूलमउ क्षेत्र बड़े प्रतिस्पर्धियों के समान स्तर पर आ जाएगा। डिजायन से उपभोक्ता प्रबंधन और विक्रय प्रंबधन अभी भी अपनी ऊँची लागत के कारण सूलमउ की पहुंच से दूर है। इस मंत्रालय के समक्ष यह एक चुनौती है कि सूलमउ में ही एक परिपक्वता स्तर पर पहुंच चुके ट्रेंड को 'क्लाउड कम्पयूटिंग' में (गार्टनर के अनुसार) प्रभावशाली ढंग से सक्षम बनाना।

3.1.6 नवीनता सूलमउ क्षेत्र की शक्ति है, अतः यह महत्वपूर्ण होगा कि नयी पहलों को बढ़ावा देने तथा वैश्विक प्रतियोगिताओं के समक्ष टिकने के लिए उन्हें उन्नत करने हेतु उन्हे वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

3.1.7 सूलमउ की औद्योगिक इंजीनियरिंग संकल्पनाओं तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के अनुप्रयोगों के माध्यम से, विविध उत्पादकता सुधार चाहे वे प्रौद्योगिकीयों और मशीनों की खरीद के माध्यम से हो, एक अन्य चुनौती है। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि का निर्माण सूलमउ को (जो सामान्यतः निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी से चल रहे है) विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करेगा जिससे सघन क्षमता के स्तर के बाह्य जोखिम को न्यूनतम किया जा सकेगा।

3.1.8 टीआरआईपीएस व्यवस्था और डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के कारण, विधिक संदर्भ काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस जटिलता का औसत सूलमउ द्वारा व्यापक विरोध हो सकता है, इसे वहन करना संभव नही होगा तथा ये दोनों एक साथ गंभीर जोखिम और विरोधी कार्यात्मक वातावरण में बदल सकते है।

3.2 <u>स्टेक होल्डर</u>

3.2.1 इस क्षेत्र में कई प्रकार के स्टेक होल्डर हैं जिसमे नियंत्रक, सुविधाप्रदाता और लाभार्थी शामिल हैं। इन स्टेक होल्डरों की सूची निम्नानुसार हैः-

i. सूलमउ (विद्यमान और भावी दोनों) तथा उनके संघ,
ii. बड़े उद्यम जिनमें बहुराष्ट्रीय उद्यम (वस्तुओं और सेवाओं के प्रदाता) शामिल है,
iii. राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारें,
iv. केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग,
v. बैंक/वित्तीय संस्थाएं,
vi. सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में उद्यमिता और कौशल विकास संस्थाएं

vii. अनुसंधान और विकास संस्थाएं,
viii. शैक्षणिक संस्थाएं,
ix. मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संगठन,

3.2.2 अधिकांश प्रमुख स्टेक होल्डरों अर्थात सूलमउ की भूमिका क्लाइंट ग्रुप के रूप में स्पष्ट है। किन्तु उन्हे अपनी गति प्राप्त करने के लिए तब तक सहायता देनी होगी जब तक वे स्वंय में अत्यन्त शक्तिशाली नही हो जाते। अन्य स्टेक होल्डर जो सरकारी स्थान पर है, विभिन्न नीतियों के माध्यम से जीवन को कठिन बना सकते हैं तथा सूलमउ को इस नाजुक हालत में बाधा पहुंचा सकते है। आज डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के अंतर्गत किसी विशिष्ट मद के आयात की अनुमति देने वाली एक छोटी-सी अधिसूचना से सम्पूर्ण उप-क्षेत्र को समस्या हो सकती है। अतएव, अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।

3.3 सामर्थ्यता एवं कमजोरियॉं

3.3.1 सूलमउ क्षेत्र अक्सर व्यक्तिगत रचनात्मकता से आगे बढ़ता है। इस क्षेत्र की प्रमुख ताकत उत्पादों और प्रक्रियाओं दोनों के संदर्भ में अधिक नवीनता की संभावना होना है। इस क्षेत्र की स्वाभाविक क्षमता यह है कि ये उद्यम काफी कम राशि के निवेश से स्थापित किए जा सकते हैं तथा इनमें देश मे कहीं भी अवस्थित होने की स्थान संबंधी लोचशीलता होती है। उनमें बड़े उद्यमों की तुलना में अधिक रोजगार की संभावना है तथा इस समय इनमें 6 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के रोजगाररत होने का अनुमान है। वे जिम्मेदार अनुपंजी इकाइयां हैं अतः इस प्रकार उनका बड़े उद्यमों से स्वाभाविक लिंकेज है।

3.3.2 इस क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए राज्य और केन्द्रीय स्तर पर सुदृढ़ संस्थागत अवसंरचना विद्यमान है। विपणन प्रौद्योगिकी, वित्त अवसंरचना तथा कौशल विकास के तहत सहायक सेवाओं की विस्तृत श्रेणी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर एक व्यापक नेटवर्क है। केन्द्र और राज्य सरकारों की विद्यमान स्कीमों कार्यक्रमों का विस्तार सूलमउ के संचालन के प्रमुख क्षेत्रों में है। ये एक प्रबुद्ध कार्यबल द्वारा संचालित की जाती है किन्तु अतिरिक्त निदेश से इन्हें उन्नत किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष परामर्शदात्री निकाय नामत 'सूलमउ के लिए राष्ट्रीय बोर्ड' गठित किया गया है जिसमें नीति निर्माण और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गाइडेंस/इनपुट देने के लिए स्टेक होल्डरों के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

3.3.3 जैसाकि कहा जा चुका है, यह क्षेत्र अनेक कठिनाईयों और कमजोरियों से जुझ रहा है। 2.6 करोड़ उद्यमों में से अधिकांश असंगठित क्षेत्र में है जो प्रायः अनाधिकृत शहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र विविधतापूर्ण है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्यमों के छोटे समूह हैं जबकि अधिकांश निम्न प्रौद्योगिकी वाले हैं जिसके परिणामस्वरूप कम उत्पादकता और उत्पादों की निम्न गुणवत्ता सामने आते हैं। ये यूनिटें आकार में छोटी है तथा इक्विटी और क्रेडिट तक इनकी पहॅुच काफी कम है।

अधिकांश समय इक्विटी बैंकिग प्रणाली से आने की बजाय बचत एवं मित्रों और रिश्तेदारों से ऋणों से आती है। प्रायः कार्यशील पूंजी के लिए सस्ते बैंकिग ऋण के स्थापित तंत्र की बजाय ऋण संचालन अथवा घरेलू बचतों से आती है। यह समस्या मुख्यतः ग्रामीण उद्योगों के साथ-साथ सूक्ष्म उद्यमों के निचले स्तर की इकाइयों के लिए होती है।

जबकि हमारे पास मानव संसाधनों की अपार क्षमता है, फिर भी कम भुगतान-क्षमता एवं कमजोर प्रबंधकीय क्षमताओं के कारण यह क्षेत्र जन-शक्ति की कमी का सामना कर रहा है। अन्य प्रमुख कमी यह है कि विपणन माध्यमों तथा ब्रांड निर्माण क्षमता का अभाव है।

3.3.4 वर्तमान ढांचा क्षेत्र स्तर पर सेवाओं की अपर्याप्त कमजोर वितरण से भी दुष्प्रभावित है। बड़ी संख्या में बहुत छोटी स्कीमों के साथ योजनाओं और कार्यक्रमों की सीमित पहुंच है, राज्य/संघ राज्य सरकारों सहित, सूलमउ संवर्धन में लगे विभिन्न संघों के बीच समन्वय की कमी है तथा निजी क्षेत्र में संस्थागत स्टेक होल्डर के साथ अपर्याप्त लिंकेज/संयोजन है। सूलमउ क्षेत्र के उच्च स्तर के उद्यमियों के लिए उचित मौजूद तंत्र का अभाव होना मुख्य बाधा है।

लाभार्थियों के बहुआयामी ढ़ांचे की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विश्वसनीय एवं अद्यतन आंकड़ों की कमी होना भी चिंता का विषय है क्योंकि यह उपयुक्त स्कीमों के निर्माण एवं विकासीय पहलों की निगरानी में बाधा पहुंचाता है।

3.3.5 एक ही लक्ष्य समूह के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा एक जैसे/मिलते-जुलते कार्यक्रमों को चलाते हुए द्विरावृतिकरण होने की मुख्य प्रणालीगत कमी को देखा गया है। इस प्रकार, चूंकि कॅयर बोर्ड सूलमउ मंत्रालय के अधीनस्थ है, जबकि अन्य विभाग भी कॅयर उद्योग के संवर्धन के लिए कार्यक्रमों में निवेश/खर्च करता हैं। इसी प्रकार के मामले ग्रामीण उद्योग क्षेत्र मे भी पाए गए हैं, जहां मुख्य निवेश/खर्चे जो कि पूर्ण रूप से समन्वयित नहीं है, हस्तशिल्प संस्थाओं के साथ-साथ ग्रामीण विभाग स्थापना में हो रहे हैं। इसी तरह के मामलों का आधारगत क्षेत्रों जैसे, चर्म तथा हस्तशिल्प आदि में सामना कर पड़ रहा है, एक समन्वयक प्रयास द्विरावृतिकरण के जोखिम को सार्थकता के साथ कम कर सकता है तथा ग्राहक समूह में इसमें भ्रम को भी घटा सकता है।

3.3.6 इन उद्यमों की मुख्य कमी यह है कि ये पैतृक/विरासतीय हैं। संरक्षणवादी, सब्सिडी आधारित, आरक्षण आधारित व्यवस्था के कारण इस क्षेत्र की मानसिकता इस पुरानी परम्परा को जारी रखने की मांग करती है। यह नोट करना सुखद है कि यह मानसिकता नई पीढ़ी के उद्यमियों में धीरे-धीरे समाप्त हो रही है लेकिन इस नई पीढ़ी के विचारशील नेतृत्व का आविर्भाव होना अभी शेष है। इसे हम एक बड़ी लेकिन क्षणिक कमजोरी कह सकते हैं, जिसे इस तरह की मानसिकता को बदलने के लिए तथा इस समस्या से उभरने के लिए व्यापक कार्यशाला/सफलता आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

3.3.7 ऋण उपलब्धता की समस्या अभी प्रमुख चिंता का विषय है, जबकि सरकार ने इस क्षेत्र के ऋण के बढ़ावे के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लेकिन अभी भी सूलमउ द्वारा सामना किए जाने वाली सबसे कठिन समस्या है।

3.3.8 सूलमउ क्षेत्र में निधियों की उपलब्धता की प्रकृति चक्रीकृत है। निधि का मिलना, बड़े अंतराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों, राजकोषीय नीतियों तथा अन्य मानदंडों पर निर्भर है, जो कि इस क्षेत्र की सीमा से बाहर हैं। नकदी की कमी के समय में, वित्तीय प्रणाली में चलनिधि की कमी, यहां तक कि बाहरी कारण भी इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बाधित करता है, इस क्षेत्र में कार्यशील पूंजी पर इसकी अधिक निर्भरता एक प्रमुख बात है, जिससे कि इसके उत्पादन चक्र पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, जैसा कि कहा गया है कि इस क्षेत्र की सहन सीमा स्तर बहुत ही कम है। इस तरह चल पूँजी की कमी से इस पर शीघ्रता एवं नुकसान देह प्रभाव पड़ता है। विगत वैश्विक

आर्थिक संकट के दौरान, यह सूलमउ की दैनदिन कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए सूलमउ को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आई है। इसलिए सूलमउ को प्रतिकूल मौद्रिक स्थिति में ऋण की कमी से अलग रखना चाहिए।

3.4. सीखने की आवश्यकता

3.4.1 सशक्तता एवं कमजोरियों से भविष्य की रणनीति के लिए सीख मिलती है।

इस प्रकार, सीखने का कार्यक्रम विभिन्न स्तर पर है। यह सूलमउ को वैश्विक/वित्तीय बाजारों की अनिश्चितताओं तथा विश्व व्यापार संगठन/टीआरआईपी एस की व्यवस्था के दुरूपयोग से संरक्षित करने के लिए पृथक स्तर का निर्माण करेगा। प्रौद्योगिकी तथा विपणन में सर्वोत्तम अंतराष्ट्रीय प्रथाओं से सीखने की आवश्यकता है। अन्य स्तर पर, कुशल संगठनात्मक प्रणालियों की व्यावसायिकता एवं निर्माण हेतु, यहां तक कि निम्न स्तर पर तथा जमीनी स्तर पर नवीकरण के संवर्धन के लिए, यह अच्छी तरह समझना कि उन में से किसी को सफलता हासिल हो गई है, भविष्य के लिए एक पहेली मात्र है।

4 रणनीति की रूपरेखाः

4.1 संभावित रणनीतियांः

बड़े स्तर पर, संतुलित विकास के लिए विभिन्न आउटरीच कार्यक्रमों के सम-भौगोलिक प्रसार हेतु एक रणनीति की आवश्यकता है। दूसरी ओर महिला उद्यमी एवं समाज के अन्य कमजोर-श्रेणी के उद्यमियों को लेकर समग्र रणनीति पर जोर देने की आवश्यकता है। इस तरह की क्षैतिजीय एवं उर्ध्वाधर समग्रता को लेकर ही हम इस समानता के मिशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

संभावित रणनीतियां मुख्यतः पांच स्तंभों पर जाकर टिकती है, जो कि साथ-साथ चलने वाले थे। वे निम्नवत हैंः (प्राथमिकता के क्रम में नहीं हैं):

i. कौशल विकास
ii. बाजार
iii. प्रौद्योगिकी
iv. अवसंरचना
v. क्रेडिट की उपलब्धता

4.1.3 नई ज्ञान आधारित पहलों तथा प्रक्रियाओं सहित व्यक्तिगत विश्लेषण एवं प्रस्तावित कार्रवाईयॉ जो हमारी शक्ति को बढ़ा सकती हैं बाहरी परेशानियों से सूलमउ की संदिग्धता को कम कर सकती है, नीचे दी गई है।

4.1.4 मंत्रालय, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (एसडीपी), तथा प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु, वित्तीय सहायता देने के प्रयासों पर उद्यमिता-सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईएसडीपी) अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। प्रशिक्षण-पाठयक्रम, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आदि के मानकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 'उत्कृष्टता हेतु केन्द्र'

स्थापित किया जाएगा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को उनके द्वारा उद्यमिता विकास संस्थानों की स्थापना के प्रयास के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी जो नक्सल प्रभावित, पर्वतीय क्षेत्र जैसे जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों तथा विकट क्षेत्रों जैसे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि पर अधिक ध्यान केन्द्र करेंगे। सूलमउ विकास संस्थानों को सूलमउ को हैडहोल्डिंग एवं सलाहकार सेवाओं को प्रदान करने के लिए स्वायत्त संगठनों में परवर्तित किया जाएगा। मानकीकृत पाठ्यक्रम, पाठयक्रम-सामग्री को अद्यतन करने तथा विपणन सुग्राही प्रशिक्षण के लिए सूलमउ मंत्रालय के सभी प्रशिक्षण संस्थान के एक छत के नीचे लाए जाएंगे अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य के आधार पर राष्ट्रीय स्तर के संस्थान अपने चुनिंदा क्षेत्रों में अलग-'उत्कृष्टता-केन्द्र' के विकास करने का प्रयास करेंगे।

4.1.5 मंत्रालय की 'प्रशिक्षण संस्थाओं की सहायता योजना' के प्रभाव तथा राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के पैनलबद्ध द्वारा निजी/सरकारी भागीदार संस्थाओं की क्षमता देखने के लिए अध्ययन किया जाएगा।

4.1.6 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण तथा उद्योग के हित के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का डाटाबेस सृजित किया जाएगा तथा जॉब एक्सचेंज से उसे जोड़ा जाएगा। उद्योग, प्रशिक्षित जन-शक्ति के डाटाबेस तक पहुँच प्राप्त करने में समर्थ होगी।

4.1.7 रोजगार सृजन एक अन्य क्षेत्र है जहां सूलमउ एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। इस बात को ध्यान में रहते हुए अगस्त, 2008 में राष्ट्रीय स्तर की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का प्रारंभ किया गया। सूलमउ मंत्रालय आई.टी. सक्षम अनुप्रयोग ट्रेकिंग प्रणाली [आई एनेबल्ड एप्लीकेशन सिस्टम] के कार्यान्वयन से माध्यम से पीएमईजीपी के कार्यनिष्पादन को और सुधार के लिए पहल करेगा। क्रेता-विक्रेता अंतक्रिया की सुविधा के लिए पीएमईजीपी इकाइयों के उत्पादों की विभिन्नता (समूह) के लिए एक वन-स्टाप-शाप के रूप में एक वेबपोर्टल बनाकर विशेष प्रयास किया जाएगा।

4.1.8 सूलमउ द्वारा जिन क्षेत्रों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनमें से एक विपणन (मार्केटिंग) है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इनके पास उनके व्यवसायिक विकास हेतु रणनीति बनाने वाले तरीके और साधन नहीं है जैसे कि बड़े उद्यमों के पास हैं। प्रौद्योगिकी परिवर्तन तथा वैश्विकरण के कारण विपणन चलन शक्ति में लगातार परिवर्तन का सूलमउ की प्रतिस्पर्धा पर गहरा प्रभाव पड़ा है। किसी भी उत्पाद के लिए विपणन-रणनीति के समग्र विस्तार को सुधारने की आवश्यकता है चाहे वे, उत्पाद-विभेदन, उत्पादों के वृद्धिकरण प्रतिरूप, ब्रांड संबंधी मामले, पारंपरिक एवं अल्पावधिक सेवाएं, ग्राहक संयोजन अथवा विक्री पश्चात सेवाएं आदि हो। सहयोग की मौजूदा स्कीम को सुमेलित तथा युक्ति संगत बनाने की आवश्यकता है जिसकी सकेन्द्रित उपगम्यता हो। सूलमउ क्षेत्र के लिए विपणन अवसंरचना को सशक्त बनाने के लिए मौजूदा विपणन सहयोग-संस्थाओं में भी पुनर्गमन करना होगा और इसे मुख्य उपभोक्ता क्षेत्रों एवं प्रारूपों की मुख्यधारा से जोड़ना होगा।

4.1.9 ई-कामर्स, व्यवसाय में क्रेताओं के साथ-साथ विश्व भर के उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में उभरा है। नई प्रौद्योगिकी के आगमन पर क्षेत्र/सीमाओं का विलय हो गया है। मंत्रालय ने सूलमउ क्षेत्र को बाजार तक पहुँचाने के लिए एनएसआईसी में पहले ही एक बिजनेस टु बिजनेस (बी 2 बी) पोर्टल का संवर्धन किया है। अब यह प्रयास किया जाएगा कि उपरोक्त के साथ एक पुष्ट एवं संयुक्त, उत्तम प्रकार का बिजनेस टु कस्टमर (बी 2 सी) पोर्टल हो।

लोजेस्टिक आपूर्ति श्रृंखला बनाना तथा ग्राहकों की सेवा के लिए उत्पादों का मानकीकरण एक चुनौती है।

सूलमउ के उत्पादों के लिए बाजार तैयार करने में उनके प्रयासों के लिए अधिक इक्विटी सहयोग उपलब्ध कराते हुए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. को सशक्त बनाना होगा। केवीआईसी को ग्रामीण उद्योगों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए सशक्त बनाना होगा। घरेलू एवं अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनियों/बाजार मेलों में भाग लेने के लिए सूलमउ को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मंत्रालय की योजनाओं को अधिक व्यय के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा जाएगा।

4.1.10 एक नीति तैयार की गई है जिस पर मंत्रिमण्डल के अनुमोदन की प्रतीक्षा है, यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की 20% अधिप्राप्ति सूलमउ द्वारा तैयार वस्तुओं से हो। गुणवत्ता मानकों एवं सौंपने के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सूलमउ की तकनीकी क्षमताओं का संवर्धन करना एक चुनौती है।

4.1.11 क्लस्टर विकास की अप्रोच उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती है। यह उन्हें बड़े उद्योग क्षेत्र के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय उद्योगों की विपणन कार्यनीति में घातक प्रतिस्पर्धा का सामना करने योग्य बनाएगी। सूलमउ मंत्रालय की क्लस्टर विकास योजना देश भर में सभी क्षेत्र के सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टरों का सुधार करेगी। स्कीम की जागरूकता राज्य सरकारों सहित अनेक स्टेक होल्डरों में बढ़ेगी। नैदानिक अध्ययन, अवसंरचना-विकास तथा सामान्य सुविधा केन्द्र परियोजनाओं सहित सॉफ्ट एवं हार्ड इंटरवेशनों के और अधिक क्लस्टर लिए जाएंगे।

4.1.12 प्रौद्यागिकी एक ऐसा विशिष्ट कारक है जो सूलमउ क्षेत्र में विकास को बढ़ाता है। वर्तमान वैश्विक प्रतिस्पर्धा के आर्थिक परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी क्षेत्र ही विजेता को निश्चित कराएगा। इस वास्तविकता को ध्यान में रखकर सूलमउ मंत्रालय इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम एवं योजनाओं की शुरूआत कर रहा है। इसने कुछ समय पूर्व ही भारतीय सूलमउ की वैश्विक-प्रतिस्पर्धात्मकता को लक्ष्य में रखकर राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (एमएनसीपी) के तहत सम्पूर्ण विपणन क्षेत्र के विस्तार को कवर करते हुए 10 नवाचारी स्कीमों का प्रारंभ किया गया है।

(i) विपणन सहयोग/एसएमई सहायता (बार-कोड)।
(ii) इंक्यूबेटरों के माध्यम से लघु और मध्यम उद्यमों के उद्यमीय तथा प्रबंधकीय विकास हेतु सहयोग।
(iii) गुणवत्ता प्रबंधन मानक एवं गुणवत्ता प्रौद्योगिकी टूल (क्यूएमएस/क्यूटीटी) के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाना।
(iv) सूलमउ के लिए 'बौद्धिक सम्पदा अधिकार' के बारे में जागरूकता बनाना।
(v) मिनी टूल रूम (एमटीआर)।
(vi) सूलमउ के लिए लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक स्कीम।
(vii) सूलमउ में डिजाइन विशेषज्ञता हेतु डिजाइन क्लिनिक स्कीम।
(viii) सूलमउ में विपणन सहायता तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम।
(ix) सूलमउ को प्रौद्योगिकी तथा गुणवत्ता उन्नयन सहयोग।
(x) सूलमउ विनिर्माण क्षेत्र में आई सी टी का संवर्द्धन (आई सी टी)।

4.1.13 एनएमसीपी के अंतर्गत ये स्कीमें मंत्रालय की प्राथमिकता प्राप्त होगी और भविष्य में सूलमउ इकाइयों को प्रतिस्पर्धी रूप प्रदान करेंगी।

4.1.14 इसके अतिरिक्त, मंत्रालय, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अनुमोदित उप-क्षेत्रों/उत्पादों में सुस्थापित तथा उन्नत प्रौद्योगिकी को लगाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा को लक्ष्य में रखकर उनके द्वारा प्राप्त संस्थागत वित्तपोषण पर 15% पूँजी सब्सिडी देकर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है।

4.1.15 ये स्कीमें केवल 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी ही नहीं रहेगी बल्कि सूलमउ को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस हेतु योजना व्यय को बढ़ाया जाएगा।

(क) विद्यमान प्रशासनिक ढांचा चुनौतियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रतीत होते हैं। तथापि, कभी-कभार आपूर्ति प्रणालियां पाइपलाइनों (प्रक्रिया) के अवरूद्ध होने के कारण प्रभावित होती हैं। सूलमउ क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए एक अधिक समन्वित संस्थागत ढांचे के लिए, मंत्रालय एक व्यापक नौदानिक अध्ययन करवाएगा। विद्यमान संस्थागत ढांचे के विश्लेषण के अलावा, यह अध्ययन इस संबंध में बेहतरीन अंतराष्ट्रीय व्यवहारों का भी ध्यान रखेगा। एक सुग्राही तंत्र स्थापित किया जाएगा जो आपूर्ति पाइपलाइनों का अवरोध समाप्त करने के लिए एलर्ट भेजेगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी, जहां भी व्यावहारिक हो, साथ ही राज्यों के जिला उद्याग केन्द्रो (डी आई सी) का सशक्तीकरण अन्य संभावित कार्यनीतियां हैं।

(ख) योजनाओं के बेहतर 'लक्ष्य निर्धारण' और आंकड़ा संग्रहण के लिए सूलमउ संघों को उपयुक्त आपूर्ति माध्यम होने के लिए सशक्त और मजबूत बनाना एक अनुपूरक कार्यनीतिक माध्यम हो सकता है।

(ग) योजनाओं/कार्यक्रमों की पहुँच बढ़ाने के लिए, मंत्रालय सभी विद्यमान योजनाओं/कार्यक्रमों की एक व्यापक समीक्षा करेगा। समान उद्देश्यों वाली योजनाओं/कार्यक्रमों का विलय किया जाएगा और जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा बहुत छोटी योजनाओं के कार्यान्वयन के स्थान पर, मंत्रालय लाभार्थी समूह पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने के लिए कुछ बड़ी योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

(घ) किसी क्लस्टर में सार्वजनिक-निजी भागीदारिता (पी पी पी) का लाभ उठाने को प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप के लिए बेहतरीन माध्यम माना गया है। औद्योगिक अवसंरचना विकास योजना सहित मौजूदा सूक्ष्म व लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सूलमउ -सीडीपी) को पीपीपी मोड के तहत नए दिशा-निर्देशों के साथ अनुसरण किया जाएगा ताकि सूलमउ के चहुँमुखी स्थायी विकास के लिए देश भर के यथा संभव क्लस्टरों को इसमें शामिल किया जा सके।

(ङ.) यह मंत्रालय एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उसमें संशोधन करने सहित अन्य कदम उठाएगा।

(च) पथ-प्रदर्शन एवं ऋण सहयोग के लिए उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से सुविधा उपलब्ध करवाना।

(छ) सूलमउ उत्पादों में गुणवत्ता मानदण्डों को सुनिश्चित करने के लिए जॉच सुविधा का नेटवर्क उपलब्ध करवाना।

(ज) एक नई स्कीम की शुरूआत द्वारा बैंकिंग चैनलों के माध्यम से सूलमउ क्षेत्र हेतु एक पृथक वित्तपोषण खिड़की।

(झ) मंत्रालय पंचवर्षीय आधार पर सूलमउ उद्योगों की गणना करता है। इसे एक बहुआयामी और विश्वसनीय आंकडा आधार में बदलने के लिए मंत्रालय सूलमउ सैन्टर के लिए वार्षिक नमूना सर्वेक्षण करेगा जिसमें सूलमउ उद्योग की गणना को प्रांसगिक रखा जा सकें। इससे ट्रेण्ड सपोर्ट्रिंग तथा ट्रेण्ड विश्लेषण में भी सहायता मिलेगी। इससे यदि अपेक्षित होगा तो किसी नीति में किसी बीच मे संशोधन के लिए काफी सहायता मिलेगी। यह नीति वैश्विक और घरेलू ट्रेण्ड के आधार पर आकार लेगी। अतः सूलमउ की कोई भी नीति तथा प्रकृति में पूर्ण स्थायी नही हो सकती है परन्तु यह परिवर्तित और विकसित हो सकती है ।

5. <u>स्टेक होल्डर से</u>

5.1 सूलमउ की बोर्ड की बैठक में रणनीतिक योजना के मसौदे पर विचार विमर्श किया गया था। इसे सूलमउ बोर्ड, सूलमउ संघो, राज्यों और भारत सरकार के मंत्रालय के प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग) तथा इस मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों के सभी सदस्यो को परिचालित कर दिया गया था। सूलमउ के राष्ट्रीय बोर्ड की विद्यमान प्रकिया तथा अलग अलग स्कीमों के अन्तर्गत निर्धारित ढाचें के माध्यम से नियमित बैठक सुनिश्चित करके स्टेक होल्डर को निरन्तर साथ रखा जाएगा। राज्यों/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों, एमएसएमई संघों और बैकों/वित्तिय संस्थानों के साथ वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी तथा समन्वय स्थापित किया जाएगा।

5.2 चूँकि उपर्युक्त संस्थागत प्रकिया के अलावा स्टेक होल्डरों को साथ रखना एक सतत और निरन्तर प्रकिया है अतः वेब आधारित परस्पर सम्पर्क की नई पहल की जाएगी जिससे पारस्परिक सम्पर्क और निरन्तरता बनी रहेगी तथा यह बहुआयामी होगी। यह भी परिकल्पना की गई है कि इन स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और विकास संस्थाओं तथा बड़े उद्यमों में अधिक भागीदारी की व्यवस्था की जाएगी। पब्लिक फीड बैक के लिए एक पारस्परिक सम्पर्क की वेबसाइट तथा सूचना प्रोद्योगिकी सक्षम शिकायत निवारण तन्त्र प्रारम्भ किया जाएगा।

6. जानकारी एवं क्षमता बढ़ाना

6.1 उचित प्रलेखन, सभी प्रमुख स्कीमों में प्रबंधन सूचना प्रणाली के प्रारंभ, कार्यक्रम अधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण' तथा सूलमउ संघों की क्षमता निर्माण के माध्यम से जानकारी और क्षमता बढ़ाई जाएगी।

6.2 देश भर में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को विश्वभर से विपणन के तरीके तथा विनिर्माण की सर्वोत्तम विधियां सीखने की आवश्यकता है। इस प्रकार चाहे वह इटली में उद्योगों से संबंधित क्लस्टर संबद्धता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता हो, जापान में विद्यमान परामर्शदाता को तकनीकी सलाह की उपलब्धता हो अथवा अमेरिका में लघु व्यवसायी प्रशासन का संस्थागत संदर्भ हो, उनके पास भारत को जानकारी देने के लिए काफी महत्वपूर्ण ज्ञान है।

6.3 ‘‘दूसरी महत्वपूर्ण सीख शीर्ष समूह से सीखना है। जैसा कि कहा गया है कि वानियामवडी (एफल्यूएंट ट्रीटमेंट के) (तमिलनाडु) को टेगरा (पं.बंगाल) में फिर से दोहराने की आवश्यकता है। इस समय ऐसे अनुभवों को बांटने के लिए ऐसी कोई संस्थागत प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए संस्थागत प्रक्रियाओं को बनाया जाएगा। मंत्रालय इसे अपने क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे विकास आयुक्त (सूलमउ का कार्यालय) एवं मंत्रालय के अन्य सहयोगियों के माध्यम से आयोजित करेगा।

7. प्राथमिकता वाले क्षेत्र

7.1 नई पहलों का परिमाण निर्धारित करना तथा उन्हें महत्व देना, इनका संदर्भित महत्व निम्नानुसार है :

i.	उपर्युक्त सूची के अनुसार विपणन	–	20
ii.	कौशल विकास	–	20
iii.	प्रौद्योगिकी उन्नयन (बाह्य कारक हैं जैसे बजट की उपलब्धता प्रोद्योगिकी उन्नयन निधी का सृजन जो कि प्रक्रिया में है)	–	20
iv.	अवसंरचना (सूलमउ क्षेत्र को गुणवत्ता और पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध करने के लिए अपेक्षित राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण)	–	20
v.	ऋण की उपलब्धता (ऋण को प्रभावित करने वाले बाहरी कारक है बैंक और वित्तीय संस्थाएं, ऋण पर उंची ब्याज दरें, सूलमउ क्षेत्र के प्रति बैंकरों का प्रतिकूल दृष्टिकोण आदि)	–	20
	कुल	**:**	**100**

7.2 ये सभी प्राथमिकता वाले क्षेत्र सूलमउ सैक्टर के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रत्येक क्षेत्र के लिए पहल करते समय इन्हें समान महत्व दिया गया है। उपर्युक्त सभी पांचों क्षेत्र समुचित रूप से स्वीकार्य है (चूंकि यह मांग आधारित है) और साथ ही साथ इन्हें कार्यान्वित करना आसान है।

8. कार्यान्वयन योजना

8.1 कार्यान्वयन योजना निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेगा !

(i) विशेषकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों मे प्रशिक्षण संस्थाओं को मजबूत बनाना और प्रशिक्षण सुविधा को उन्नत।

(ii) सूलमउ को बेहतर विपणन सहायता प्रदान करना और वर्तमान/ नए विपणन सहयोग अवसंरचना/संस्थाओं को मजबूत बनाना/सृजन करना।

(iii) सूलमउ को तकनीकी सहायता,

(iv) सूलमउ को एक निकास प्रणली उपलब्ध कराने के लिए, सरलीकरण प्रबंधन और आदि परिषद के अंतिम निर्णय लेने के लिए सूलमउ डी एक्ट, 2006 में संशोधन।

(v) क्षेत्रीय स्तर पर सेवाओं के वितरण में सुधार लाने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी आबद्ध संचार सुविधाओं के प्रावधान के साथ जिला उद्योग केन्द्रों को सुदृढ़ीकरण करना,

(vi) क्लस्टर विकास कार्यक्रम को सशक्त बनाया जाएगा। सूलमउ संघों को विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा,

(vii) खादी सुधार और विकास कार्यक्रम के माध्यम से खादी संस्थाओं को सशक्त बनाया जाएगा,

(viii) सूलमउ के मार्केट शेयर को बढ़ाने में योगदान करने के लिए लोक अधिप्राप्ति नीति की शुरूआत।

(ix) सूलमउ क्षेत्र के संघ को प्रोत्साहित करना।

(x) राज्यों में परिस्थितियों के कारण नियंत्रण से बाहर होने के कारण अस्थायी रूप से रूग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए पुनःस्थापित निधि की स्थापना एवं उचित योजनाओं के संचालन हेतु राज्यों को सहयोग हेतु एक योजना की शुरूआत।

(xi) मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने में समर्थ बनाने के लिए आधुनिक स्वचछ प्रौद्योगिकी के उन्नयन, अधिप्राप्ति, अनुकूलता में सूलमउ को सहायता करने और प्रौद्योगिकी बैंक/उत्पाद विशिष्ट प्रौद्योगिकी केन्द्र के सृजन हेतु मौजूदा स्कीमों का उन्नयन अथवा नई स्कीमों की शुरूआत;

(xii) प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं में बड़ी संख्या में बिजनेस इन्क्यूबेटर स्थापित करने के माध्यम से प्रवर्तनों को प्रोत्साहित करना,

(xiii) राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एमएनसीपी), प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) खादी के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) की स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), क्रेडिट लिंक्ड कैपीटल सब्सिडी स्कीम (सी एल सी एस एस) क्रेडिट गारंटी स्कीम आदि सहित मंत्रालय की प्रमुख स्कीमों/कार्यक्रमों की पहुंच बढ़ाना।

8.2 इसके लिए अपेक्षित संसाधन वार्षिक योजना 2011-12 के मसौदे में और प्रस्तावित अगली पंचवर्षीय योजना में उल्लिखित है। स्कीमों के लिए विस्तृत प्रमुख बिन्दु तथा समीक्षा बिन्दु तय कर लिए गए हैं। जैसा कि उपर उल्लेख भी किया जा चुका है तथा ये प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी के पास उपलब्ध है।

8.3 इन योजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन करने के पश्चात मंत्रालय की विभिन्न योजनागत स्कीमों में संशोधन द्वारा प्रस्तावित रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। विभिन्न स्कीमों की मूल्यांकन अध्ययनों की रिपोर्टों के अध्ययन के पश्चात विस्तृत संशोधन अपेक्षाओं को तय किया जाएगा।

9. स्ट्रेटजिक प्लान (रणनितिक योजना) और परिणाम ढ़ॉचा दस्तावेजों (आरएफडी) के बीच लिंकेज

9.1 मंत्रालय के स्ट्रेटजिक प्लान को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों के लिए परिणाम ढ़ॉचा दस्तावेज (आरएफडी) तैयार किया जाएगा।

10. अंतरविभागीय और आंतरिक कार्यात्मक मुद्दे

10.1 अंतरविभागीय और पारस्परिक कार्यात्मक मुद्दे नीचे दिए गए हैं :

10.1.1 संभावित चुनौतियों के साथ लिंकेज का 12वीं योजना में समाधान किया जाना है।

10.1.1.1 योजना आयोग द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी में निम्न बारह प्रकार की नीतिगत चुनौतियां " चिह्नित की गई हैं:

i. विकास के लिए क्षमता को बढ़ाना
ii. कौशल और तेजी से रोजगार सृजन को बढ़ाना
iii. पर्यावरण प्रबंधन
iv. दक्षता और समविशिता के लिए बाजार
v. विकेंद्रीकरण, सशक्तिकरण और सूचना
vi. तकनीकी और नवीकरण
vii. भारत के ऊर्जा भविष्य की सुरक्षा
viii. परिवहन अवसंरचना का तीव्र गति से विकास
ix. ग्रामीण विकास और कृषि का निरंतर विकास
x. शहरीकरण का प्रबंध करना
xi. शिक्षा के स्तर में सुधार
xii. बेहतर रोगमुक्त स्वस्थ समाज तथा उपचार की व्यवस्था

10.1.1.2 उपर्युक्त बारह नीतिगत चुनौतियों में से मंत्रालय निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य करेगा।

i. विकास के लिए क्षमता को बढ़ाना
ii. कौशल में वृद्धि एवं रोजगार का तीव्र सृजन
iii. दक्षता और समावेशिता के लिए बाजार
iv. तकनीक और नवीकरण

10.1.1.3 उपर्युक्त चार क्षेत्रों में 12 वीं योजना के साथ लिंकेज को आगामी अनुच्छेदों में उल्लिखित विवरण के अनुसार योजना दस्तावेज में लाया जाएगा।

10.1.2 संसाधन आबंटन और क्षमता निर्माण से संबंधित मुद्दों सहित अंतर विभागीय मुद्दों की पहचान करना और उनका प्रबन्धन करना।

10.1.2.1 एक सूलमउ की बोर्ड मीटिंग में रणनीतिक योजना के बारे में विचार विमर्श किया जिसमें विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों राज्य सरकारों और सूलमउ संघों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। इसे भारत सरकार के मंत्रालयों, राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग) को परिचालित किया गया था। इस प्रकार व्यापक परामर्श प्रक्रिया के पश्चात रणनीतिक योजना को अंतिम रूप दिया गया है। तथापि अपरिवर्तनीय यह एक दस्तावेज नहीं है तथा इसमें आगे अपेक्षित संशोधन होंगे और आगे परामर्श की प्रक्रिया सूलमउ बोर्ड तथा अन्य परामर्शदायी प्रणालियों के रूप में पहले ही शुरू कर दी गई हैं।

10.1.2.2 अधिकांश अंतरविभागीय मामले संसाधनों के आबंटन से संबंधित हैं। यह रणनीतिक योजना बनाने के लिए दिशानिर्देशों में यह पूर्व धारणा है कि संसाधन उपलब्धता के लिए वरीयता आधारित समन्वय है। जहां कहीं संरचनात्मक तथा नीति संबंधी पहल करना संभव है जो संसाधनों से सम्बद्ध नहीं है वहां संसाधनों की उपलब्धता इस क्षेत्र द्वारा देखी जा रही है जटिल परिस्थितियों के बावजूद एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। जैसाकि पहले देखा गया है कि बजट आबंटन में प्रतिशत आधरित वृद्धि के माध्यम से रूढिबद्ध धारणा इस क्षेत्र को पूरी क्षमता से विकसित होने देने के लिए सहायता करने का सर्वोत्तम उपाय नहीं है।

10.1.2.3 <u>सूलमउ के लिए कार्बन क्रेडिट</u>

कार्बन क्रेडिट, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकीय संतुलन जैसे नए साधनों का लाभ प्राप्त करना वैश्वीय महत्व का है तथा सूलमउ क्षेत्र को भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाने की आवश्यकता है जबकि क्लस्टर स्तर पर इससे संबंधित चिंता नीति निर्धारकों के मस्तिष्क में बैठ गई है। रसायन और पैट्रो रसायन फाउण्ड्री, स्टील और आयरन रोलिंग/फोर्जिंग उद्योग के क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम तथा पर्यावरणविद तथा सामाजिक कार्यकर्ता बेहतरी के लिए कार्य कर रहें है जबकि सूलमउ मंत्रालय ने अनेक ऐसे तकनीकी सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित करने प्रारम्भ कर दिए है किंतु अभी तक कार्बन क्रेडिट जैसी स्कीमों के लाभ को व्यक्तिगत सूलमउ तक पहुचाना संभव नहीं हो पाया है। कार्बन क्रेडिट के लाभ को प्राप्त करने के लिए उन्हें सरकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों में सहायता अपेक्षित हो गई। यह प्रणाली मंत्रालय में स्थापित की जा चुकी है किन्तु इसे सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

10.1.3 <u>विभागों/कार्यालयों के भीतर अंतर्कार्यात्मक लिंकेज</u>

10.1.3.1 मंत्रालय के भीतर कुछ कार्यकलाप हैं, जिनमें विभिन्न विभागों/संगठनों के बीच एक ही समय कार्य होता है। ये कार्य हैं, क्लस्टर विकास, प्रशिक्षण, घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां, आदि। कार्यकलाप-वार/विभाग-वार अलग वित्तीय आबंटन किए जाते हैं।

10.1.4 <u>संगठनात्मक समीक्षा और एजेंसियों की भूमिका तथा व्यापक सार्वजनिक सेवा</u>

10.1.4.1 मंत्रालय के सभी अधीनस्थ संगठनों/उत्तरदायी केन्द्रों के लिए अलग कार्यनीतिक योजना, परिणाम ढॉचा दस्तावेज और सेवोत्तम कांप्लायंट सिटिजन/क्लाइंट चार्टर बनाया जाएगा और उसे पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। प्रभावी जन सेवा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय योजनाओं की समीक्षा, लाइन एजेंसियों की भूमिका और संगठनात्मक समीक्षा, के लिए एक गवर्नमेंट प्रौसेस रीइंजीनियरिंग (जीपीआर) बिजनेस प्रौसेस रीइंजीनियरिंग (वीपीआर) भी शुरू करेगा। यह संगठनात्मक समीक्षा, एजेंसियों की भूमिका और व्यापक सार्वजनिक सेवा की आवश्यकता को हल करेगी।

11 <u>निगानी और समीक्षा व्यवस्थाएं</u>

11.1 प्रत्येक योजना और उसके समवर्ती मूल्यांकन के लिए निर्धारित परिणाम मानदंडों के द्वारा सफलता की निगरानी और मापन किया जाएगा। एक मजबूत एम आई एस और शिकायत निपटान तंत्र के द्वारा कार्यान्वयन निगरानी की जाएगी। उपरोक्त उल्लिखित एमआईएस को ऑनलाइन बनाते हुए 'प्रभागीय शीर्ष, सचिव और मंत्री की योजनाओं की आवधिक समीक्षा जैसी निगरानी की वर्तमान व्यवस्था को अधिक तेज और निष्पक्ष बनाया जाएगा। दूसरी विद्यमान व्यवस्था, अर्थात् आरएफडी

और मंत्रालय तथा उसके संगठनों के परिणामी बजट त्रुटियों और कमियां की गुंजाइश को कम कर देंगे। मंत्रालय के अंतर्गत 'सर्वेक्षण, अध्ययन और नीति अनुसंधान' नामक एक योजना है जिसके तहत सूलमउ से संबंधित ज्वलंत मुद्दों और सूलमउ क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों का नियमित अध्ययन किया जाता है। सूलमउ पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा मंत्रालय की योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

12. अधीनस्थ संगठन /उत्तरदायी केन्द्र

12.1 इस योजना के तहत मंत्रालय के 25 अधीनस्थ संगठन /उत्तरदायी केन्द्र हैं, जो निम्नलिखित है :

क्र. सं.	उत्तरदायी केन्द्र/अधीनस्थ संघ	लैण्डलाइन दूरभाष संख्या	ई मेल	पता
1.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.	011-26926275, 26910910	info@nsic.co.in	ओखला इन्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज-!!! नई दिल्ली
2.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	022-26714320-25	dit@kvic.gov.in	''ग्रमोदय'' ''3, इरला रोड़, विले पारले (वैस्ट) मुम्बई-400056
3.	राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान	0120-2403051-54	Infoniesbud@nic.in	ए-23-24, सैक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज- II,नोएडा-201301
4.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान	040-23608544-46	registar@nismse.org	युशुफ गोडा, हैदाराबाद-500045.
5.	भारतीय उद्यमिता संस्थान	0361-2302646, 2300994, 2300123	Iiendia 1@bsnl.in	37, एनएच बाईपास, लालमाटी, बशिष्ठ चारियाली, गोवाहाटी-781029, असम
6.	कॅयर बोर्ड	048-2351807, 2351788	cpirbpard@vsnl.com	''कॉयर हाउस'' एम.जी. रोड, ऍरनाकुलम, कोची-682016. केरल
7.	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान	07152-253512	director.mgiri@gmail.com	मगनवाडी, वर्धा-442001, महाराष्ट्र
8.	सूलमउ - औजार कक्ष (भारतीय जर्मन औजार कक्ष)	0240 2486832,2482593, 2470541	gm@igtr-aur.org	पी-31, एमआईडीसी, चिकालथाना इंडस्ट्रियल एरिया, ऑरंगाबाद 431006
9.	सूलमउ - औजार कक्ष (भारतीय जर्मन औजार कक्ष)	79 25840966, 258419063	gm@igtrahd.com	प्लॉट नं.-5003, फेस-iv,जीआईडीसी वातवा, मेहमदाबाद रोड, अहमदाबाद 382445(गुजरात)
10.	सूलमउ - औजार कक्ष (भारतीय जर्मन औजार कक्ष)	0731 4210700/03/04 4210701	indigtr@sanchrnet.in	प्लॉट नं. 291/बी-302/ए, सैक्टर-ई, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, इंदौर 452003 (एमपी)
11.	सूलमउ - औजार कक्ष (केन्द्रीय औजार कक्ष)	0161 2670057, 2670058, 2670059, 2676266	info@ctrudhiana.com	ए-5 फोकल पाइन्ट, लुधियाना 141010 (पंजाब)
12.	सूलमउ - औजार कक्ष (केन्द्रीय औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र)	033 25771492, 25771068	cttckolkata@vsnl.com	बेनहोगली इन्डसट्रियल एरिया, कोलकाता 700108 (पं.बं.)

13.	सूलमउ - औजार कक्ष (केन्द्रीय औजार कक्ष और प्रशिक्षण केन्द्र)	0674 2742100, 2743349, 3011700	cttc@satyam.net.in	बी-36, चन्डका इन्डसट्रियल एरिया, पो. ओ. पाटिया, भुवनेश्वर 751024 (उड़ीसा)
14.	सूलमउ -औजार कक्ष, (इंडो दानिस टूल रूम)	0657 22011261/62, 2200507	reach@idtrjamshedpur.com	एम-4 (पार्ट) फेस-vi, टाटा कान्द्रा रोड, गमहरिया, जमशेदपुर 832108 (झारखंड)
15	सूलमउ - औजार कक्ष, (टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सैंटर)	0361265542	Trtc_ghy@rediffmail.com	एमिंगोन इन्डसट्रियल एरिया, नॉर्थ गोवाहाटी रोड, एमिंगोन, गोवाहाटी 781031
16.	सूलमउ -औजार कक्ष, (सैण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स)	0181 2290226, 2290225, 2290196	Institute_ild@dataone.com	जी.टी. रोड, बाईपास, जालंधर-144008(पंजाब)
17.	सूलमउ -प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलैक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमैंट्स)	022 24050301/2/3/4	Idemi@vsnl.net	एस.टी. टोप मार्ग, चूनाभट्टी सीऑन, पी. ओ. मुम्बई-400022
18.	सूलमउ -प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (इलैक्ट्रानिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सैंटर)	05947 251201, 251530, 255951	Pd_estc@sancharnet.in	कानिया, रामनगर, जिला नैनीताल-244715, उत्तराखंड
19.	सूलमउ -प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रोसेस कॅम प्रोडक्ट डेवलपमैंट सैंटर)	0121 2511779	info@ppdcmeerut.com	स्पोर्टस् गुड्स कॉम्पलैक्स, दिल्ली रोड, मेरठ-250052 (उ.प्र.)
20.	सूलमउ -प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमैंट सैंटर)	0562 2344006 2344673	ppdc@sancharnet.in	फाउन्ड्री नगर, आगरा-282006(उ.प्र.)
21.	सूलमउ -प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सैंट्रल फुटवियर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट)	044 22501529	cfti@vsnl.net	65/1, जीएसटी रोड, गुइंडी, चेन्नई-600032.
22	सूलमउ -प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सैंट्रल फुटवियर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट)	0562 2642005, 2642004	info@cfti.org.in	सी:41 एवं 42, साइट'सी' सिकंदर इण्ड0 एरिया, आगरा:282007 (उ प्र)
23	सूलमउ -प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (फ्रैगरेंस एण्ड फलैवर डवलपमेंट सेंटर)	05694 234465, 234791	ffdcknj@sancharnet.in	इण्ड0 एस्टेट, जी टी रोड, पो ऑ मकरन्द नगर, कन्नोज-209726 (उ प्र)
24	सूलमउ -प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ ग्लास इण्डस्ट्री)	05612 232293	cdgifzbd@ sancharnet.in	ए-1/1 इण्ड0 एरिया, जैत्सर रोड, पो ऑ मुइदीपुर, फिरोजाबाद-283203 (उ प्र)
25	सूलमउ -प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (सेंटर इंस्टीटयूट ऑफ टूल डिजाइन)	040 23774536, 23772748	hyd1_citdhy@sancharnet.in	ए-1 से ए-8 एपीआईई बालानगर, हैदराबाद 500037 (आ प्र)